भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

तथा

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड के मध्य

दिल्ली के लिए

सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौता

25 अप्रैल, 2006

विषयवस्तु तालिका

1.	परिभाषाएं व व्याख्या	2
2.	पूर्ववर्ती परिस्थितियां	5
3.	सेवाओं का क्षेत्र	6
4.	राजस्व तथा प्रभार	8
5.	सेवाओं का मानक तथा प्रदर्शन में असफलता	9
6.	अप्रत्याशित घटना	10
7.	शर्तें.....	11
8.	नियत कार्य	11
9.	विवाद समाधान.....	12
10.	सूचनाएं.....	12
11.	माना गया वितरण	13
12.	सह-समन्वय समिति	13
13.	शासी भाषा.....	15
14.	शासी कानून	15
15.	अनुसूची 1	16
16.	अनुसूची 2	17

दिल्ली DELHI **सी 020439**

सीएनएस/एटीएम सुविधा एवं सेवा समझौता

यह **सीएनएस/एटीएम सुविधा एवं सेवा समझौता (**यह **"समझौता"**) 25 अप्रैल, 2006 को निष्पादित किया गया:

निम्नलिखित पक्षों के मध्यः

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन गठित **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्य कार्यालय के साथ, अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य करते हुए (इसके बाद '**एएआई**' से संदर्भित, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि इसका अर्थ, संदर्भ अथवा प्रयोजन के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारियों को शामिल करती है तथा अनुमति प्रदान करती है) पहले पक्ष का गठन करती है; तथा

(2) दूसरा भाग **दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शामिल की गयी कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 4वां तल, बिरला टावर, 25, बाराखंबा रोड़, नई दिल्ली-110001 पर स्थित है (जिसे आज के बाद '**जेवीसी**' के नाम से, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि इसका अर्थ, संदर्भ अथवा प्रयोजन के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारियों को शामिल करेगी व इसकी अनुमति प्रदान करेगी) होगा।

एएआई तथा जेवीसी दोनों सामूहिक रूप से आज के बाद **"पक्षों"** के रूप में संदर्भित होंगे तथा व्यक्तिगत रूप से **"पक्ष"** के रूप में संदर्भित होंगे।

जबकि:

(क) जेवीसी प्रचालन, प्रबंधन और विकास अनुबंध (द "**ओएमडीए**") दिनांक 04.04.2006 में शामिल हुई जिसके अनुसरण में यह हवाई अड्डे के विकास, प्रचालन, प्रबंधन, उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (द "**एक्ट**") के अनुसरण में एएआई भारत के अंतर्गत एवं भारत के अन्य सभी नागरिक हवाई अड्डों की वायु यातायात सेवाओं के लिए जिम्मेदार है।

(ग) उक्त अधिनियम के अनुसार एएआई इस समझौते में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार हवाई अड्डे पर वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

अब इसलिए, पूर्वगामी तथा संबंधित प्रसंविदाओं तथा इस समझौते में लिखित अनुबंधों, प्राप्तियों, जिसकी उपयुक्तता एवं पर्याप्तता एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है को विमर्शित करते हुए तथा कानूनी तौर पर एतद्द्वारा अनुबंधित होते हुए, पक्षगण निम्न प्रकार से सहमत होते हैः

1 परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में जब तक कोई अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता न हो:

"एएआई इक्विपमेंट" का तात्पर्य उन सभी उपकरणों से होगा जो उपकरण एएआई को एएआई सेवाओं का निष्पादन करने में सहायक होंगे;

"एएआई सेवाओं" का अर्थ खंड 3.1 के क्रम में एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से होगा;

किसी व्यक्ति विशेष के बारे में **"संबंद्ध करने"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर रहा हो, के द्वारा नियंत्रित अथवा इस प्रकार से विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सामान्य नियंत्रण के अधीन; प्रदान किया गया; फिर भी; कि, इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए; पद "नियंत्रित करना", "के द्वारा नियंत्रित" अथवा "के सामान्य नियंत्रण के साथ" का अर्थ कब्जे से है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रबंधन तथा नीतियों के निर्देशन का कारण बनना अथवा निर्देशित करने की शक्ति धारित करना, चाहे मतदाता प्रतिभूतियों के स्वामित्व के द्वारा, अनुबंध के द्वारा अथवा अन्यथा, अथवा 50% निदेशकों, प्रबंधकों, साझेदारों अथवा इस प्रकार के प्राधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से होगा;

"विमान क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था" से तात्पर्य संबंधित आईसीएओ के संलग्नकों एवं दस्तावेजों में हवाई अड्डे वर्ग के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के क्रम में हवाई जहाज के प्रचालन के लिए हवाई अड्डे पर की

जाने वाली प्रकाश की व्यवस्था से है (इसमें रनवे, टैक्सीवे, अप्रन तथा अप्रोच सभी शामिल है) कार्यस्थल पर स्थित छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से है;

"हवाई अड्डा" का अर्थ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से है;

"हवाई अड्डा कार्यस्थल" का अर्थ एतद्द्वारा ओएमडीए में दिये गये अर्थ से है;

"**शिकागो समझौता**" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित तथा/अथवा अनुपूरित 1944 के शिकागो समझौते से है; तथा शिकागो समझौते के संबंध में **"अनुपूरक अंश"** का तात्पर्य इस अनुपूरक अंश से होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित तथा/अथवा अनुपूरित किया गया हो;

"**सीएनएस/एटीएम सेवाओं**" का अर्थ संचार, वायुयान-संचालन तथा निगरानी तथा वायुयान परिवहन प्रबंधन सेवाओं जिनको विशेषरूप से अनुसूची 2 में वर्णित किया गया है, से है;

"**डीजीसीए**" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार से है;

"प्रभावी तिथि" का अर्थ यहां अनुच्छेद 2.1 में इसे दिये गये अर्थ से है;

"सुविधा" का अर्थ हवाई अड्डे पर मौजूद वायु परिवहन सेवाओं से है जिसमें नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक एवं वातानुकूलन, बिजली, पानी तथा हाउस कीपिंग की अबाध आपूर्ति के प्रावधानों के साथ एएआई कार्मिकों के लिए कार्यालयी आवास से है;

"जीओआई" का अर्थ भारत सरकार तथा उसके नियंत्रणाधीन एवं निर्देशों के अधीन किसी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी विनियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय अथवा प्राधिकृत व्यक्ति (स्वायत्त हो अथवा नही) से है;

"आईसीएओ" का अर्थ शिकागो समझौते तथा उसके किसी उत्तराधिकारी के द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से है;

"**आईसीएओ अनुपूरक अंश एवं दस्तावेज**" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित आईसीएओ अनुपूरक अंश तथा दस्तावेजों से है;

"**घटना रिपोर्ट प्रक्रिया**" का तात्पर्य घटनाओं तथा आपातकाल की रिपोर्ट के लिए एएआई तथा जेवीसी द्वारा समय-समय पर एकमतरूप से स्वीकार्य प्रक्रिया से है;

"जेवीसी उपकरण" से तात्पर्य अनुसूची 1 में निर्धारित वस्तुओं से है;

"जेवीसी दायित्वों" का अर्थ खंड 3.3 के क्रम में जेवीसी द्वारा अनुपालित की जाने वाली दायित्वों से है;

"क्षति" का अर्थ किसी भी प्रकार के नुकसानों, देयताओं, लागतों, व्ययों, दावों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मागों, दायित्वों, कमियों, वादों, न्याय निर्णयों, निषेधाज्ञाओं, पुरस्कारों अथवा क्षतियों से है;

"मौसमविज्ञानी सुविधाएं"

मौसमविज्ञानी सुविधाओं में अनेक मौसमविज्ञानी उपकरण तथा प्रणालियां, उड़ान पूर्व योजना, टेक-ऑफ, क्लाइंब-आउट, लेवल-क्रूज, डिसेंट व लैंडिग शामिल हैं। इसमें चार्ट, दस्तावेज तैयार करना, पूर्वानुमान लगाना तथा ब्रीफिंग शामिल हैं।;

"ओएमडीए" का अर्थ यहां पुनरावृत्ति में उसे दिये गये अर्थ से है;

"रिपोर्ट प्रक्रिया प्रचालन" का अर्थ एएआई सेवाओं तथा जेवीसी की दायित्वों से संबंधित प्रावधानों का दैनिक आधार पर निर्वहन से संबंधित सूचनाओं के संप्रेषण के लिए एएआई तथा जेवीसी के मध्य समय-समय पर सहमति से निर्धारित की गई प्रक्रिया से है;

"व्यक्ति" का तात्पर्य किसी व्यक्ति, कारपोरेशन, कंपनी, साझेदारी, सीमित देयता कंपनी, संयुक्त उद्यम, संघ अथवा न्यास अथवा इकाई अथवा संगठन से होगा;

"कार्मिक" का अर्थ सीएनएस/एटीएम सेवाएं संपन्न करने वाले एएआई के कार्मिकों से है;

"आरईएसए" अथवा "रनवे एण्ड सेफ्टी एरिया" का अर्थ उस सममित क्षेत्र से है जो रनवे की सेंट्रल लाइन तक विस्तारित तथा वायुयान के लिए रनवे पर वायुयान द्वारा अंडरशूटिंग अथवा ओवररनिंग के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मुख्यतः इस पट्टी के अंत तक जुड़ी होती है।

"**मार्ग दिक्चालन सुविधा शुल्क**" से तात्पर्य एएआई द्वारा एयरलाइनों तथा/अथवा विमान प्रचालकों को एएआई के वर्तमान आदेशों के क्रम में मार्ग दिक्चालन सेवाओं के लिए लिये जाने वाले शुल्कों के प्रावधानों से है;

"**टर्मिनल नैविगेशनल लैंडिग चार्जेस**" से तात्पर्य एएआई द्वारा एयरलाइनों तथा/अथवा विमान प्रचालकों से टर्मिनल नैविगेशनल लैंडिग सेवाओं के प्रावधानों के निमित्त ली जाने वाली धनराशि अथवा शुल्कों से है;

1.2 **व्याख्या**

इस समझौते में, उस स्थिति को छोड़कर जहाँ संदर्भ की अलग से आवश्यकता न हो:

(i) एकवचन के लिए संदर्भ, बहुवचन के संदर्भ तथा इसके विपरीततया, को शामिल करेगा तथा एक लिंग के लिए संदर्भ दूसरे संदर्भ को भी शामिल करेगाः

(ii) इस समझौते के लिए किसी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक, और अनुलग्नक के लिए संदर्भ अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक के लिए होगा।

(iii) परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक तथा अनुलग्नक इस समझौते के अभिन्न अंग का निर्माण करते हैं। अनुच्छेदों के किसी प्रावधान में अथवा परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक तथा के किसी प्रावधान में मतभेद की स्थिति में, अनुच्छेद के प्रावधान कायम रहेंगे।

(iv) कानूनी शक्ति अवधारित करने वाले किसी कानून अथवा विनियमन के संदर्भ में उस संदर्भ अथवा विनियमन को समय-समय पर संशोधित, परिशोधित, अनुपूरित, विस्तृत अथवा पुनःअधिनियमित करने वाला संदर्भ शामिल है।

(v) समय के किसी भी संदर्भ से आशय, जब तक कि संदर्भ में इसकी अलग से आवश्यकता न हो, भारत में संदर्भित समय से होगा। कैलेंडर के किसी भी संदर्भ से आशय ग्रिगोरियन कैलेंडर से होगा।

(vi) अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों तथा अनुलग्नकों के शीर्षों (Headings) को इस समझौते में मात्र सुविधा के लिए डाला गया है तथा इनका प्रभाव इस अनुबंध के अर्थ व व्याख्या को प्रभावित नही करेगा।

(vii) शब्द 'शामिल' (include) अथवा (including) 'शामिल करते हुए' के विषय में 'बिना प्रतिबंध' अथवा 'लेकिन तक सीमित नहीं' माना जाएगा भले ही वे इन पदबंधों से अनुगमित हो अथवा नहीं।

(viii) जब तक कि संदर्भ में इसके लिए अलग से आवश्यकता न हो, संदर्भित किया गया कोई भी समय इस प्रकार के समय की अंतिम तिथि के बाद समाप्त माना जाएगा।

(ix) यदि अनुच्छेद 1 का कोई प्रावधान कोई ठोस प्रावधान है जो किसी पक्ष को अधिकार प्रदान करता है अथवा बाध्यताएं लगाता है तो, इसे वह प्रभाव दिया जायेगा मानो कि इस समझौते के अंतर्निहित मसौदे का एक ठोस प्रावधान था;

(x) निर्माणकार्य का नियम, यदि कोई हो तो, कि ड्राफ्टिंग व तदुपरांत उस पर निर्माणकार्य के लिए जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कांट्रैक्ट को व्याख्यायित किया जाना चाहिए, लागू नही होगा;

(xi) अनुबंधों के सभी संदर्भ, विलेख, दस्तावेज अथवा अन्य उपकरण (सभी संबंधित अनुमोदनों के अधीन) उस अनुबंध, दस्तावेज अथवा यथा संशोधित, अनुपूरित, संशोधित, प्रतिस्थापित, नवस्थापित अथवा समय-समय पर प्रदत्त किये जाने के संदर्भ को शामिल करते हैं।

2. पूर्ववर्ती शर्तें

2.1 इस समझौते के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 2, 8 से 14 में शामिल प्रावधानों के अतिरिक्त जो इस समझौते की तारीख से पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होंगे) उस तारीख से (**"प्रभावी तिथि")** पार्टियों के लिए प्रभावी होंगे और बाध्यकारी हो जाएंगे जिस दिन ओएमडीए के लिए सभी पूर्ववर्ती शर्तें या तो पूरी तरह से पूरी कर ली जाएं अथवा ओएमडीए (**"पूर्ववर्ती शर्तें"**) के क्रम में उनकी छूट दे दी जाए।

2.2 पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा न करना

यदि पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा न किये जाने के लिए ओएमडीए की समाप्ति कर दी जाती है तो यह समझौता बिना किसी पक्ष पर देयता के तुरंत समाप्त हो जाएगा।

3. सेवाओं का क्षेत्र

3.1 एएआई सेवाएं

एएआई (हर दिन के 24 घंटों सहित), इस समयावधि के अंतर्गत यहां, संबंधित आईसीएओ अनुलग्नक तथा दस्तावेजों में निर्धारित संबंधित मानकों के क्रम में अपने स्वंय की लागत परः

(i) सीएनएस/एटीएम सुविधाएं उपलब्ध करायेगा;

(ii) एएआई उपकरणों का सामयिक उड़ान अशांकन तथा अन्य परीक्षण संचालित करते हुए एएआई उपकरणों का रखरखाव करेगा;

(iii) समय-समय पर (क) कम से कम संबंधित आईसीएओ अनुलग्नक तथा दस्तावेजों में संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तथा (ख) हवाई अड्डे के विस्तार/उन्नयन के परिणामस्वरूप, एएआई उपकरणों का उन्नयन करेगा;

(iv) आईसीएओ अनुलग्नक द्वारा निर्धारित मानकों तथा एएआई द्वारा इस समझौते के अधीन अनुपालित किये जाने वाले मानकों के क्रम में एएआई को हवाई अड्डे पर समय-समय पर सीएनएस/एटीएम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वंय के व्यय पर इस प्रकार के उपकरणों को खरीदने में सक्षम बनाएगा जिनकी इस हेतु आवश्यकता हो;

(v) हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सुविधाओं के प्रावधान के लिए, शिकागो समझौते के क्रम में स्थापित अथवा संस्तुत पद्धति के अनुसार तथा उन्ही शर्तों पर जिनके आधार पर एएआई इन सुविधाओं को अन्य सभी एएआई हवाई अड्डों पर तब तक उपलब्ध कराती है जब तक कि भारत सरकार एएआई के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी को नामित करने का निर्णय लेती है तब तक

हवाई अड्डे के लिए सीएनएस/एटीएस सुविधाओं के लिए मौसमविज्ञानी सुविधाओं तथा सेवाओं को जुटाएगा; तथा

(vi) एएआई उपकरणों को इनकी प्रचालकीय सुविधा के लिए स्थानांतरित करेगा बशर्ते कि यह स्थानांतरण ओएमडीए के अधीन जेवीसी की दायित्वों को एवं/अथवा हवाई अड्डे के सुचारू प्रचालन को प्रभावित न करे।

3.2 एटीएम, रास्ता तथा अन्य सुविधाएं

यदि एएआई को आवश्यकता हो तो, यह अपनी स्वंय की लागत पर (लगातार) हवाई अड्डे अथवा हवाई अड्डा कार्यस्थल (अथवा स्थानांतरित, जो भी आवश्यक हो) पर किसी रडार, उपकरण, भवनों, कार्यों अथवा वायु दिक्चालन सेवाओं के मार्गों के प्रावधान के लिए आवश्यक सुविधाओं को स्थापित रख सकती है। हवाई अड्डे पर इस प्रकार के रडारों, उपकरण, भवनों, कार्य अथवा अन्य सुविधाओं के स्थानांतरण में एएआई हवाई अड्डे के सामान्य संचालन में आने वाली किसी बाधा से बचने के लिए उपयुक्त उपाय सुनिश्चित करेगा। संदेह से बचने के लिए, सीएनएस/एटीएम सुविधाओं के प्रावधानों के उद्देश्य के लिए किये गये इस प्रकार के स्थानांतरणों के कारण हवाई अड्डे के सामान्य प्रचालन में उत्पन्न व्यवधान के लिए एएआई को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

3.3 **जेवीसी बाध्यताएः** इस समयावधि के दौरान, जेवीसी ओएमडीए में निर्धारित की गयीं आवश्यकताओं के अतिरिक्तः

3.3.1 यह सुनिश्चित करेगी कि वायुयान प्रचालन के लिए उपयुक्त व उपलब्ध रनवे, टैक्सीवे, एप्रन तथा अप्रोच मार्ग का निर्माण हो चुका है तथा इनका रखरखाव वायुयान प्रचालन के लिए उपयुक्त, आईसीएओ अनुलग्नक एवं दस्तावेजो में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है;

3.3.2 यह सुनिश्चित करेगी कि पट्टियां, पटरी, स्टॉप वे तथा रनवे के लिए रेसा और पट्टियां तथा टैक्सीवे के लिए पटरियां और विलग रास्तों आदि का निर्माण हो चुका है तथा इनका रखरखाव वायुयान प्रचालन के लिए उपयुक्त, आईसीएओ अनुलग्नक एवं दस्तावेजो में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है;

3.3.3 यह सुनिश्चित करेगी कि हवाई अड्डे तथा अप्रोच और टेक-ऑफ क्षेत्र की बाधा सीमा सतह को रुकावटों से मुक्त रखा जाएगा अथवा इन बाधाओं को संबंधित आईसीएओ अनुलग्नक तथा दस्तावेजों में निर्धारित प्रावधानों के क्रम में अनुमेय सीमा तक रखा जाएगा;

3.3.4 यह सुनिश्चित करेगी कि बचाव एवं अग्नि शमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी को उपलब्ध कराया जाएगा तथा संबंधित आईसीएओ अनुलग्नक एवं दस्तावेजों में निर्धारित संबंधित प्रावधानों के क्रम में इनका रखरखाव किया जाएगा;

3.3.5 सुनिश्चित करेगी कि अनेक सीएनएस/एटीएम उपकरणों/सुविधाओं के लिए संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसा कि एएआई द्वारा चिन्हित किये गये हों को किसी भी बाधा से दूर रखा जाएगा तथा इन क्षेत्रों में ऐसी किसी भी बाधा की अनुमति नही होगी जो इन उपकरणों/सुविधाओं के प्रचालन में बाधा उत्पन्न करे तथा वायुयान प्रचालन की सुरक्षा को खतरे में डाले।

3.3.6 यह सुनिश्चित करेगी कि हवाई अड्डे पर प्रचालन क्षेत्र के अंतर्गत पक्षियों/जानवरों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है।

3.3.7 यह सुनिश्चित करेगी कि निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक प्रबंध किये गये हैः

(i)रनवे से खराब वायुयान को हटाना;
(ii) वायुयान तथा हवाई अड्डे के लिए बम का खतरा;
(iii) हवाई अड्डे के आस-पास वायुयान दुर्घटना के लिए;
(iv) अनियत वायुयान की जबरदस्ती हवाई अड्डे पर लैंडिग;
(v) हवाई अड्डे पर आग;
(vi)प्राकृतिक विपत्ति व आपदाएं;
(vii) हवाई अड्डे पर हमला;
(viii) नागर विमानन में गैरकानूनी घुसपैंठ;

3.3.8 यह सुनिश्चित करेगी कि आपातकालीन सेवाओं (आग, चिकित्सा तथा पुलिस) तथा हवाई अड्डा प्रबंधक से संपर्क साधने वाली सुविधाएं आपातकालीन अलार्म घंटी संस्थापित है;

3.3.9 एएआई को हवाई अड्डे पर अपने कार्मिकों, वाहनों तथा एजेंटों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना जो एएआई सेवाओं के निष्पादन के लिए उसे वांछित हों;

3.3.10 एएआई से अनुरोध प्राप्त होने पर, एएआई द्वारा एएआई सेवाओं का निष्पादन करने के लिए बिजली तथा पानी की पर्याप्त आपूर्ति अबाध रूप से प्रदान करें। इस स्थिति में एएआई जेवीसी को अपने द्वारा खपत की गई बिजली तथा पानी की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।

3.3.11 उस स्थिति तक जिसे एएआई उपयुक्त समझे, हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाई अड्डे पर जिस आपातोपयोगी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता हो के संबंध में एएआई जेवीसी को इस अतिरिक्त आपूर्ति की सूचना देगी तथा पक्षगण इस अतिरिक्त आपूर्ति पर विचार विमर्श हेतु मुलाकात करेंगे और एएआई द्वारा वांछित इस अतिरिक्त आपूर्ति की पूर्ति के लिए आपस में समझौता निष्पादित करेंगे;

3.3.12 एएआई दवारा सुविधाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सूचनाओं की पूर्ति एएआई तथा/अथवा इसके कार्मिकों को प्रदान करेगी;

3.3.13 भारत सरकार की एजेन्सियों पर समय-समय पर लागू नियमों व शर्तों पर जहाँ तथा जब भी एएआई की सुविधाओं के लिए हवाई अड्डे पर हर समय मौजूद एएआई के कार्मिकों व एजेन्टों के लिए कार्यालय आवास तथा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी;

3.3.14अपनी स्वंय की लागत पर, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम का रखरखाव तथा संबंधित आईसीएओ अनुलग्नक एवं दस्तावेजों में निर्धारित मानकों के क्रम में मुख्य तथा आपातोपयोगी बिजली आपूर्ति प्रणाली की आपूर्ति करेगी;

3.3.15 यह कि आपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के क्रम में इसके कर्मचारी तथा एजेन्ट, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम के बंद होने अथवा इसमें किसी त्रुटि के आने तथा एएआई के लिए किसी जेवीसी उपकरण की अनुपलब्धता के विषय मे जैसे ही उनको पता चले वैसे ही वे इस बंद होने (failure) अथवा त्रुटि के विषय में सूचित करना सुनिश्चित करेंगे;

3.3.16 आँपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार जैसा कि पक्षगणों के बीच लिखित में सहमति बनी हो के क्रम में जेवीसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी आधारिक संरचना अथवा सुविधाओं के प्रस्तावित बंद अथवा वापस लेने के संबंध में एएआई को सूचित करेगा;

3.3.17एएआई के अनुदेशों पर जेवीसी अपनी लागत पर रनवे अथवा गतिशील क्षेत्र से किसी बाधा को अपनी स्वंय की लागत पर हटाएगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि आँपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया अथवा घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया जैसा भी मामला हो, के अनुसार इसके कर्मचारी तथा एजेन्ट इस सूचना के प्राप्त होने पर इन बाधाओं की सूचना एएआई को देंगे;

3.3.18हवाई अड्डे पर किसी बदलाव अथवा रूपांतर की स्थिति में अपने स्वंय की लागत पर एएआई उपकरणों को दूसरे स्थान पर रखेगी;

3.3.19 आईसीएओ अनुलग्नक तथा दस्तावेजों में दी गई आवश्यकताओं के अतिरिक्त जेवीसी यह चाहे कि एएआई अपने उपकरणों को अपग्रेड करे तो इस तरह उपकरणों के उन्नयन पर आने वाले व्यय का वहन जेवीसी के द्वारा किया जाएगा।

3.3.20जेवीसी हर समय जेवीसी उपकरणों को आईसीएओ अनुलग्नकों एवं दस्तावेजों के क्रम में बनाये रखेगी व उन्नत करेगी

4. राजस्व तथा शुल्क

4.1 मार्ग नौवहन सुविधाओं हेतु शुल्क

एएआई अपनी संबंधित सेवाओं को निष्पादित करने के बदले में एयरलाइंस से प्रत्यक्ष तौर पर मार्ग नौवहन सुविधा शुल्क की वसूली करने की हकदार होगी।

4.2 टर्मिनल नैविगेशनल लैंडिग चार्जेस

एयरलाइंस द्वारा देय टर्मिनल नैविगेशनल लैंडिग चार्जेस का भुगतान एयरलाइंस के द्वारा सीधे एएआई को किया जाएगा।

4.3 वसूली

4.3.1 एयरलाइंस से मार्ग नौवहन सुविधा शुल्क की वसूली प्रत्यक्ष तौर पर एएआई द्वारा की जाएगी। एयरलाइंस द्वारा मार्ग नौवहन सुविधा शुल्क का भुगतान करने में असफल होने पर एएआई इस एयरलाइंस को दी जाने वाली सुविधाओं को निलंबित करने की हकदार होगी और मार्ग नौवहन सुविधा शुल्कों की वसूली के लिए यथोचित कार्रवाई करेगी।

4.3.2 एयरलाइंस से टर्मिनल नौवहन लैंडिग शुल्क की वसूली एएआई द्वारा की जाएगी। एयरलाइंस द्वारा टर्मिनल नौवहन लैंडिग शुल्क का भुगतान करने में असफल होने पर एएआई इस एयरलाइंस को दी जाने वाली सुविधाओं को निलंबित करने की हकदार होगी और टर्मिनल नौवहन लैंडिग शुल्क की वसूली के लिए यथोचित कार्रवाई करेगी।

5. सेवाओं के मानक तथा निष्पादन में असफल रहना

5.1 सेवाओं के मानक

5.1.1 एएआई हमेशा संबंधित आईसीएओ अनुलग्नको तथा दस्तावेजों में निर्धारित संबंधित मानकों के क्रम में एएआई सेवाएं उपलब्ध कराएगा तथा एएआई सेवाओँ से संबंधित अथवा एएआई उपकरणों के लिए व्यय करने की जेवीसी को कोई आवश्यकता नही होगी।

5.1.2 एएआई हमेशा सेवा के ऐसे मानकों को उपलब्ध करायेगा जो कि यह सुनिश्चित कर सके कि रनवे पर प्रति घंटे की दर से होने वाली आवाजाही उसी रेंज के अनुसार है जो एशिया पैशिफिक रीजन में इसी प्रकार की समाकृतियों तथा मौसमी परिस्थितियों में पाँच उच्चतम हवाई अड्डों (जेट एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स) के द्वारा प्राप्त की जाने वाली रेंज के अनुसार है।

5.2 **क्षतिपूर्ति**

जेवीसी, एएआई और इसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेन्टों को, नुकसान, व्यय, देयताओं अथवा इसके सापेक्ष हुई क्षतियों के बराबर भुगतान से, किसी असफलता अथवा देरी अथवा तीसरे पक्ष के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किये गये दावे के कारण एएआई अथवा इसके ठेकेदारों, प्रमुखों पर लगाये गये व उनको हुए नुकसान के बराबर व इसके सापेक्ष भुगतानों के समान, पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से (भले ही वह भूल-चूक से क्यों न हो) जेवीसी की देयताओं (छूट प्राप्त किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की स्थिति में) के निष्पादन किये जाने के दौरान, इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के सापेक्ष दावा अथवा संपत्ति की क्षति होने के सापेक्ष क्षति और दावा शामिल है से इनकी रक्षा करेगी, इनको नुकसान से दूर रखेगी तथा हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी। जेवीसी, एएआई की सेवाओं के निष्पादन के क्रम में, एएआई और इसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेन्टों को, नुकसान, व्यय, देयताओं अथवा इसके सापेक्ष हुई क्षतियों के बराबर भुगतान से, किसी एएआई अथवा इसके ठेकेदारों, प्रमुखों पर लगाये गये व उनको हुए नुकसान के बराबर व इसके सापेक्ष भुगतानों के समान, केवल जब इस प्रकार के नुकसान, लागत, व्यय, देयताएं अथवा नुकसान घोर उपेक्षा अथवा एएआई की ओर से जानबूझकर की गई गलती से हुई हो से इनकी रक्षा करेगी, इनको नुकसान से दूर रखेगी तथा इस प्रकार हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी।

5.3 **देयता**

पक्षगण इस बात पर सहमत होते हैं कि इस समझौते में वर्णित अधिकारों दायित्वों तथा देयताओं का स्पष्ट रूप से अर्थ इस समझौते से संबंधित तथा से उत्पन्न पक्षगणों के अधिकारों दायित्वों तथा देयताओं से होगा। इसी प्रकार इस समझौते में अथवा इससे संबंधित दस्तावेज में स्पष्टरूप से वर्णित उपचार पक्षधारकों के लिए इस समझौते से संबंधित अथवा उत्पन्न देयताओं के लिए, किसी

प्रस्तुतीकरण, वारंटी अथवा इसके संबंध में दिये गये किसी घोषणापत्र, कानून अथवा सामान्य न्याय में किसी उपचार के मौजूद होते हुए भी एकमात्र और अनन्य उपचार होंगे। एएआई सेवाओं के प्रावधान से संबंधित एएआई की देयता आईसीएओ मानकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता से समय / गिरावट की अवधि के अनुरूप टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज तक सीमित होगा।

6. अप्रत्याशित घटना

6.1 जेवीसी, अथवा एएआई, जैसा भी मामला हो, किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में अपनी उन संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिनका सीधे इस घटना से प्रभावित होने के कारण पूरा होना असंभव हो जाता है उनके लिए उस समयावधि के दौरान जब तक इस अप्रत्याशित घटना की स्थिति बनी रहती है इस समझौते के अधीन निलंबित करने की हकदार होंगी।

6.2 इस समझौते के अधीन "अप्रत्याशित घटना" से तात्पर्यः-

1. युद्ध (चाहे घोषित हो अथवा अघोषित), आक्रमण, सशत्र द्वंद अथवा विदेशी शत्रु द्वारा कार्रवाई जो कि प्रत्येक मामला सीधे भारत पर असर डाल रहा हो;
2. भारत के भीतर क्रांति, दंगा, विद्रोह या अन्य नागरिक विद्रोह, आतंकवाद या तोड़फोड़ की घटना
3. परमाणु विस्फोट, रेडियोएक्टिव अथवा रासायनिक प्रदूषण अथवा विकिरण आयनीकरण जब तक कि विस्फोट, प्रदूषण, विकिरण अथवा अन्य खतरनाक वस्तुओं को जेवीसी अथवा जेवीसी से संबद्ध अथवा जेवीसी के किसी ठेकेदार अथवा उप-ठेकेदार अथवा इस प्रकार के किसी संबद्ध अथवा उनके किसी संबद्ध कर्मचारी, नौकरों अथवा एजेंटों द्वारा इसके स्रोत को हवाई अड्डे अथवा इसके नजदीक लाया गया हो;
4. हमले, नियम अतिपालन, एहतियात तथा/अथवा तालाबंदी जो कि प्रत्येक मामले में देशभर अथवा राजनीतिक रूप से विस्तृत फैल गये हों;
5. प्राकृतिक तत्वों का कोई प्रभाव जिसमें बिजली गिरना, भूकंप, ज्वार तरंगे, बाढ़, तूफान, साइक्लोन, टाइफून अथवा टारनेडो शामिल है;
6. विस्फोट (परमाणु विस्फोट अथवा युद्ध के परिणामस्वरूप हुआ विस्फोट के अलावा);
7. महामारी और प्लेग;
8. वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त अथवा खराब होना; अथवा
9. उपरोक्तानुसार इस खंड 6.2 के पैरा क्रमांक 1-8 में दी गई किसी घटना अथवा परिस्थितियों के होने पर।

6.3 **अप्रत्याशित घटना के लिए क्रिया प्रणाली**

(क) यदि कोई पक्ष अप्रत्याक्षित घटना के नाम पर राहत का दावा करता है तो, अप्रत्याशित घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाला पक्ष, अप्रत्याक्षित घटना के विषय में पता चलने पर, इस समझौते के अधीन तुरंत इस विषय मे सूचित अथवा विस्तृत रूप में (i) घटित हुई अप्रत्याशित घटनाओँ के विषय में (ii)उन दायित्वों के विषय में जिन्हें निष्पादित करना असंभव हो (iii)इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं के प्रारंभ होने व अनुमानित समाप्ति के विषय में (iv) उस तरीके के विषय में बताएगी जिसमें इन अप्रत्याशित घटना(ओं) ने इस समझौते के अधीन इस पक्ष की दायित्वों को प्रभावित किया है। कोई भी पक्ष अपने दायित्वों का निष्पादन न किये जाने अथवा इसको स्थगित किये जाने के लिए तब तक सक्षम नही होगी जब तक कि ऐसे पक्ष ने ऊपरोत्तानुसार सूचि न कर दिया हो।

(ख) किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना उपरोक्तानुसार उप-खंड (क) के क्रम में देने पर, उस निर्दिष्ट दायित्व को जिसे स्पष्ट तौर पर इस घटना के द्वारा असंभव बना दिया गया हो, को स्थगति करने का अधिकार प्रभावित पक्ष को प्राप्त होगा।

(ग) अप्रत्याशित घटना के अधीन राहत प्राप्त करने वाला पक्ष, यदि इस दावे पर विवाद चाहता है तो वह इस दावे के प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर दावा करने वाले पक्ष को विवाद की लिखित सूचना प्रेषित करेगा। यदि उपरोक्तानुसार दावे की सूचना पर 10 दिनों के भीतर कोई विवाद उत्पन्न नही होता है तो इस समझौते के अधीन सभी पक्षों के विषय में यह माना जाएगा कि उन्होने दावे की वैधता को स्वीकार कर लिया है। यदि कोई पक्ष विवाद का दावा करता है तो वह निम्नानुसार खंड 9 में दी गई प्रक्रिया को पूरा करेगा।

7. **अवधि**

इस समझौते की अवधि ओएमडीए के साथ सह-अंतक होगी।

8. **समनुदेशन**

(i) जेवीसी के द्वारा

जेवीसी बिना एएआई के पूर्व लिखित सहमति के इस समझौते के अधीन इसके किसी भी अधिकार को, किन्हीं दायित्वों अथवा देयताओं को आगे नहीं सौंपेगी, हस्तांतरित, मार्टगेज, प्रभारित, उप-किराये पर, निपटेगी, उप-संविदा पर, उप-अनुज्ञापित नही करेगी अथवा अन्यथा पूर्णरूप से सहायता अनुदान प्रदान नही करेगी।

(ii) एएआई के द्वारा

एएआई पर कोई पाबंदी लगाये बगैर अन्यथा सौपनें, हस्तांतरित करने, निपटान करने अथवा पूर्णरूप से अथवा इसके किसी एक अधिकार अथवा दायित्व को इस समझौते के अधीन प्रदान करने के विषय में पूर्णतः यह माना जाएगा कि इसके लिए जेवीसी की सहमति की आवश्यकता नही थी।

क) एएआई इसके किसी लाभ को सौंप सकता है अथवा अन्य किसी भार को सभी अथवा निम्नानुसार वर्णित अपने किसी अधिकार पर कोई भार तैयार कर लेता है, तथा

ख) इस समझौते के अधीन एएआई अपने सभी अथवा किसी अधिकार अथवा दायित्वों को समनुदेशिती के द्वारा इसको पालन करने व निष्पादन करने की पूर्ण गारंटी लेने पर सौंप अथवा हस्तांतरित कर सकती है। बशर्ते कि हालांकि एएआई इस समझौते को अपनी किसी उत्तराधिकारी कंपनी अथवा किसी प्राधिकरण अथवा एएआई सेवाओं के अनुरूप सेवाओं को बिना किसी गारंटी के निष्पादन करने के लिए बनाये गये प्राधिकरण को हस्तांतरित कर सकती है।

9. विवाद समाधान

9.1 सौहार्दपूर्ण समझौता

पक्षगण किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए अपने उचित प्रयास करेंगे। यदि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली लिखित सूचना के साठ (60) दिन बाद भी कोई विवाद नही सुलझता है तो खंड 9.2 में वर्णित प्रावधान लागू होंगे।

9.2 मध्यस्थता

(i) इस समझौते के अधीन उत्पन्न होने वाले वे सभी विवाद जो खंड 9.1 के क्रम में अनसुलझे रह गये हों उनको मध्यस्थता के लिए भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1966 के अधीन एक को एकल मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा जिसके नाम पर दोनो पक्ष सहमत हों। यदि पक्ष किसी भी कारण से एकल मध्यस्थ के नाम पर इस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किये जाने 30(तीस) दिनों के भीतर सहमति नही बनती है तो विवाद को 3 (तीन) मध्यस्थों के एक प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता के लिए प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा तथा इस प्रकार नियुक्त किये गये दोनो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो प्राधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ (एकसाथ "**माध्यस्थम अधिकरण**" का निर्माण करते हुए) के तौर पर कार्य करेगा।

(ii) माध्यस्थम अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और पक्षगणों के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।

(iv) यह खंड 9.2 इस समझौते की समाप्ति अथवा अवैध होने तक प्रभावी होगा।

(v) मध्यस्थता का शासकीय कानून भारतीय कानून होगा।

10. सूचनाएं

10.1 **लिखित सूचना**

संचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अलावा इस समझौते के अधीन अथवा के संबंध में किया जाने वाला कोई भी संप्रेषण लिखित में किया जाएगा तथा जब तक अन्यथा न कहा जाए, फैक्स अथवा पत्र के द्वारा की जा सकती है।

10.2 **पते**

इस समझौते के अधीन प्रत्येक पक्ष के लिए किये जाने वाले किसी भी संप्रेषण अथवा बनाये अथवा दिये जाने वाले दस्तावेज के लिए पते एवं फैक्स नंबर (तथा विभाग अथवा अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यानाकर्षण के लिए संप्रेषण किया जाना है) इस प्रकार होंगेः

जेवीसी
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड़,
4वां तल, बिरला टावर,
25, बाराखम्बा रोड
नई दिल्ली-110001

ध्यानार्धः श्री श्रीनिवास बोमीडाला
फैक्स स. +91-11-23766352

एएआईः
एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया,
राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली 110003
ध्यानार्थः अध्यक्ष
फैक्स सः +91-11-24641088

पतों, फैक्स नंबर अथवा विभाग अथवा अधिकारियों जिसकी सूचना एक पक्ष दूसरे पक्ष को देना चाहता हो को कम से कम पाँच कार्यदिवस की सूचना के साथ देगा।

11. **मानित सुपुर्दगी**

जब तक कि इस समझौते में अन्यथा प्रदान न किया गया हो, इस समझौते के अधीन अथवा क्रम में किसी संप्रेषण को प्राप्त कर्ता द्वारा प्राप्त किया माना जाएगा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया हो) भेजे जाने वाले स्थान के बाद वाले दिन अथवा (अन्य किसी मामले में) खंड 10.2 में वांछित पते पर छोड़ दिया गया हो अथवा पंजीकृत डाक द्वारा डाक लगे व पता लिखे हुई डाक को भेजे जाने की स्थिति में ऐसे 10 कार्यदिवसों के दिनों के अंतर्गत (यदि दूसरे देश भेजा जाना हो तो ऐयरमेल के द्वारा) प्राप्त माना जाएगा। इन उद्देश्यों के लिए कार्य दिवसों से तात्पर्य शनिवार, रविवार तथा राजपत्रित अवकाशों के अलावा दिनों से होगा।

12. समन्वय समिति

12.1 एएआई सेवाओं के सुचारु तथा दक्षतापूर्ण प्रतिपादन के क्रम में पक्षगण इस प्रकार (i) जेवीसी के प्रतिनिधि; (ii)एएआई के प्रतिनिधि; (iii) अन्य एजेन्सियों के प्रतिनिधि जिनकी भी समय-समय पर आवश्यकता हो; को शामिल करते हुए समन्वय-समिति ("**समन्वय समिति**") का गठन करने की घोषणा करते है तथा सहमत होते हैं।

12.2 जब तक कि पक्षगणों के द्वारा बाद के दिनों में बैठक आयोजित करने के लिए सहमति न बने, समन्वय समिति महीने में कम से कम एक बार एयरपोर्ट पर मिलेगी।

12.3 **गंभीरता**

इस समझौते के पूर्वगामी खंड अथवा प्रावधान की अवैधता तथा अप्रवर्तनीयता, आंशिक अथवा पूर्णरूप से, इन खंडों अथवा प्रावधानों के शेष-भागों को प्रभावित नही करेगी। इस समझौते की किसी सामग्री प्रावधान को अवैध अथवा अप्रवर्तनीय माने जाने की स्थिति में पक्षगण तुरंत सद्भाव में इस प्रकार के अवैध अथवा अप्रवर्तनीय प्रावधानों को बदलने के लिए तुरंत बातचीत करेंगे जिससे कि इस समझौते को जहां तक संभव हो सके वहां तक इसके मूल प्रयोजन और आशय को बनाये रखा जा सके।

12.4 **संपूर्ण समझौता**

यहां मौजूद किसी अनुसूची अथवा प्रदर्शों के साथ यह समझौता इस समझौते की विषयवस्तु के साथ, भले ही वह लिखित हो अथवा मौखिक, एएआई तथा जेवीसी के मध्य इस प्रकार की विषयवस्तु में संपूर्ण समझौते का निर्माण करता है।

12.5 **संशोधन**

जब तक दोनो पक्षों द्वारा लिखित में सहमति न बन जाए तब तक किसी भी पक्ष पर कोई परिवर्धन, संशोधन अथवा अन्य किसी बदलाव की कोई बाध्यता नही होगी।

12.6 **अतिरिक्त दस्तावेज एवं कार्रवाइयां**

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को तथा इस प्रकार की अतिरिक्त कार्रवाइयों को तथा इस प्रकार के सहयोग को निष्पादित करने व प्रदान करने के लिए जो कि उपयुक्त रूप से इस समझौते के अधीन अवेक्षित लेन-देनों तथा प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हों सहमत होती है।

12.7 **देर से किये गये भुगतान पर ब्याज**

इस समझौते के अनुक्रम में किसी पक्ष पर बकाया अथवा देय तिथि के बाद अदत्त रह गयी किसी धनराशि पर ब्याज आहरित (निर्णय के पहले व बाद में दोनों सहित) होगा, यह ब्याज दैनिक आधार पर तथा उस तारीख से जिससे यह धनराशि बकाया थी से तब तक लगेगा जिस दिन तक इस राशि को 300 बीपीएस सहित स्टेट बैंक आँफ इंडिया प्रमुख ऋण दर पर एकमुश्त रूप में जमा नहीं कर लिया जाता।

12.8 **कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं**

यह समझौता केवल तथा पूर्णरूपेण यहा वर्णित पक्षों के लाभ के लिए है तथा, सिवाय इसमें वर्णित अधिकारों के लेनदारों को पूर्णरूपेण प्रदान किये जाने के, ये किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई संविदात्मक संबंध अथवा इसके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

12.9 **प्रतिरूप**

इस समझौते को एक अथवा अधिक प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है जिसका प्रत्येक भाग मूल माना जाएगा तथा सभी भाग एक तथा पूर्वकथित ही समझौता माना जाएगा।

12.10 समय का सार

इस समझौते में समय का सार, तिथियों के संबंध में, समयावधियों अथवा उल्लिखित दिन के समय तथा किन्हीं अन्य तिथियों से संबंध उन समयावधियों से होगा जिनकों इस समझौते के क्रम में प्रतिस्थापित किया जा सके।

12.11 **समय की गणना**

इस समझौते में संदर्भित समय से संदर्भ दिल्ली, भारत के समय से है। इस समझौते के अधीन निर्धारित अथवा अनुमेय किसी समय की गणना करने में, कार्य, घटना अथवा त्रुटि का दिन जिससे नामित समयावधि प्रारंभ होती है उसे शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से गणना किया गया समयावधि का अंतिम दिन एक कार्य दिवस नही है तो यह समयावधि उसके बाद के कार्यदिवस के अंत तक जाएगी।

13. **शासी भाषा**

इस समझौते के निवर्चन को शासित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिये जाने वाले सभी नोटिस तथा अन्य सभी संप्रेषण तथा दस्तावेजीकरण जो किसी भी प्रकार से इस समझौते से संबंधित है तथा जो इस समझौते के निष्पादन, क्रियान्वयन एवं समाप्ति से संबंधित है वे सब अंग्रेजी भाषा में होंगे इसमें किसी विवाद समाधान प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए लेकिन उन तक सीमित न रहना भी शामिल है।

14. **शासी कानून**

इस समझौते को भारतीय कानून द्वारा शासित किया जाएगा तथा इन्हीं के क्रम में इसका अर्थ लगाया जाएगा।

प्रारंभ में वर्णित तिथि जिस दिन यह समझौता निष्पादित किया गया **उसके गवाहों के** तौर पर।

के लिए व की ओर से **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** द्वारा हस्ताक्षरित_____ द्वारा हस्ताक्षरित_____	के द्वारा गवाही दी गईः

के लिए व की ओर से **देलही इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेडः** द्वारा हस्ताक्षरित_____ द्वारा हस्ताक्षरित_____	के द्वारा गवाही दी गईः

अनुसूची 1

जेवीसी के उपकरण

1. रनवे
2. रनवे लाइटिंग व मार्किंग
3. टैक्सीवे
4. टैक्सीवे की लाइटिंग व मार्किंग
5. पहचानसूचक
6. एप्रन
7. एप्रन की लाइटिंग व मार्किंग
8. पीएपीआई तथा संपर्क प्रकाश व्यवस्था
9. हवाई अड्डा प्रकाशदीप (टावर पर)
10. लैंड करने के दिन तथा रात को चिन्हित करना
11. हवा दिग्दर्शक तथा सिग्नल स्क्वायर
12. पृथक पंक्ति
13. द्वित्तीयक ऊर्जा आपूर्ति
14. एटीसी एवं हवाई अड्डा दमकल के बीच हाटलाइन
15. क्रैश बैल, केबलिंग तथा साइरन
16. हवाई क्षेत्र के लिए नियंत्रण पैनल व निगरानी प्रणाली
17. उन्नत दृश्यात्मक उपकरण (भविष्य के लिए)
18. इकाओ संलग्नकों तथा दस्तावेजों के अनुपालन में कोई अथवा दृश्यात्मक उपकरण प्रणाली (अथवा कोई प्रतिस्थापित प्रणाली) को उन्नत करें व प्रदान करें

अनुसूची 2

सीएनएस/एटीएम सेवाएं

एएआई, हवाई अड्डे पर जैसा भी वह उचित समझे उसी के अनुरूप, वायुक्षेत्र व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार के हवाई क्षेत्र की पार्श्व और ऊर्ध्वाधर सीमाओं के भीतर निम्नलिखित सेवाओं (**"सीएनएस/एटीएम सेवाओं")** को उपलब्ध करायेगा/कराने की व्यवस्था करेगाः

(i) हवाई अड्डा नियंत्रण सेवा प्रदान करना जिसमें एप्रन नियंत्रण को छोड़कर सतही गतिविधियों और ग्राउंड कंट्रोल पर नियंत्रण है;

(ii) एप्रोच कंट्रोल/अप्रोच रडार कंट्रोल सेवा;

(iii) एरिया कंट्रोल/एरिया रडार कंट्रोल सेवा (यदि योजनाबद्ध हो तो); तथा

(iv) संबंद्ध सेवाएं जैसे कि वैमानिक सूचना सेवा, फ्लाइट सूचना सेवा, परामर्शी सेवा, यथोचित सचेत करने वाली सेवा तथा खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं, ये सभी प्रस्तावित वायुयान प्रचालनों के लिए वांछित आवश्यकताओं तथा इकाओ संलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुक्रम में होना चाहिए।